(पिम नियमावली का अंश)

भाग–1
मतदाता सूची

अध्याय–1
(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी)
नियुक्ति एवं दायित्व

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं संगणकों की नियुक्ति

1. निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं संगणकों की नियुक्ति निम्नानुसार की जाएगी :–

(1) सिंचाई विभाग के सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता को चुनाव अधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा **(नियुक्ति प्रपत्र परिशिष्ट–1);**

(2) सिंचाई विभाग के खण्ड में कार्यरत सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट–2** के अनुसार होगा;

(3) सिंचाई विभाग के खण्ड में कार्यरत अवर अभियन्ताओं, जिलेदारों एवं अन्य, जैसा कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उचित समझे, को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा **(नियुक्ति प्रपत्र परिशिष्ट–3)** ;

(4) सिंचाई विभाग के खण्ड में कार्यरत सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक एवं अन्य, जैसाकि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उचित समझे, को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संगणक नियुक्त किया जाएगा **(नियुक्ति प्रपत्र परिशिष्ट–3)**;

(5) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षकों एवं संगणकों को परिचय–पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसका प्रारूप **परिशिष्ट–4** के अनुसार होगा;

(6) एक संगणक की नियुक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उतने भू–धारकों की गणना हेतु की जाएगी जितने भू–धारक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के दायित्व

2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा चुनाव अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन किया जाएगा :–

(1) सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, संगणकों तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए अन्य कर्मियों को नियुक्त करना, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना, उनका मार्गदर्शन करना तथा उनके कार्यो की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करना;

(2) प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति की निर्वाचक नामावली कुलाबा सब कमाण्डवार/रीचवार तथा मतदान केन्द्र/मतदान स्थलवार तैयार करवाना;

(3) चुनाव अधिकारी द्वारा घोषित समय–सारिणी के अनुसार कार्यक्रम का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना तथा पंचायतों के पदाधिकारियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम की लिखित सूचना देना। इसके अतिरिक्त सामान्य जनता की जानकारी के लिए लोकप्रिय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना तथा हैण्डबिल/पैम्फलेट छपवाकर पंचायत भवनों एवं प्राइमरी पाठशालाओं पर चस्पा करवाना;

(4) कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली प्रथम बार तैयार करने तथा नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण के समय संगणक द्वारा घर–घर जाकर पात्र व्यक्तियों की गणना करने की प्रक्रिया का अनुश्रवण करना और प्रत्येक वयस्क **भू–धारक**, जिनकी आयु पुनरीक्षण वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, को निर्वाचक के रूप में सम्मिलित करते हुए निर्वाचक नामावलियां तैयार कराना;

(5) निर्वाचक नामावली प्रथम बार तैयार करने अथवा विस्तृत पुनरीक्षण के समय क्षेत्र में अर्ह निर्वाचकों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए संगणकों द्वारा घर–घर जाकर गणना करने के समय भू–धारकों से भराए जाने वाले निर्धारित मतदाता प्रपत्र–1 **(परिशिष्ट–5)** की मूल प्रति/प्रतिपर्ण उपलब्ध करवाने हेतु खण्ड की आवश्यकता का आंकलन कर वांछित संख्या में संगणकों के उपयोगार्थ मतदाता प्रपत्र–1 **(परिशिष्ट–5)** की व्यवस्था सुनिश्चित करना;

(6) संगणकों द्वारा अर्ह निर्वाचकों की गणना कार्य पूर्ण करने के उपरान्त पाण्डुलिपियां तैयार करवाना एवं तत्पश्चात् निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावलियों की समय से मुद्रण की व्यवस्था करना;

(7) पाण्डुलिपि के आधार पर मुद्रित निर्वाचक नामावलियों का निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार दावा/आपत्ति हेतु अनन्तिम प्रकाशन तथा जन सामान्य द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए निर्धारित स्थानों पर प्रतियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना;

(8) निर्वाचक नामावली के अनन्तिम प्रकाशन के उपरान्त दावे और आपत्तियों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों/कर्मियों को नाम

निर्दिष्ट/नियुक्त करना तथा ऐसे प्राधिकृत कर्मियों को वांछित संख्या में प्रारूप आदि उपलब्ध कराना;

(9) पुनरीक्षण सम्बन्धी प्राप्त दावों तथा आपत्तियों का सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार निपटारा कराना तथा प्रत्येक ऐसे मामले में न्याय संगत निर्णय अभिलिखित करना;

(10) दावे तथा आपत्तियों के निराकरण के उपरांत निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(11) निर्वाचक नामावली पर प्राप्त दावे तथा आपत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख और अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रतियों को चुनाव अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सुरक्षित रखवाना;

(12) निर्वाचक नामावली की प्रतियां निर्धारित शुल्क पर देने की व्यवस्था करवाना व इस प्रकार प्राप्त धनराशि को सम्बन्धित लेखा–शीर्षक में जमा करवाना;

(13) निर्वाचक नामावली की तैयारी के लिए चुनाव अधिकारी द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप समन्वय सम्बन्धी समस्त कार्य करना;

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं संगणक के दायित्व

3.(क)सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकारण अधिकारी–

(1) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण और निर्देशन में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्ही कृत्यों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपनी–अपनी अधिकारिता/क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की शक्तियों का उपयोग करेंगे।

(ख) पर्यवेक्षक–

संगणकों से मतदाता सूची तैयार करवाना एवं उनके कार्यों की जाँच करना।

(ग) संगणक–

(1) कुलाबा कमाण्डवार भू–धारकों की सूची तैयार करना।

(2) कुलाबा सब–कमाण्ड का निर्धारण करना एवं कुलाबा सब–कमाण्डवार भू–धारकों की सूची तैयार करना।

(4) भू–धारकों से मतदाता प्रपत्र–1 (परिशिष्ट–5) भरवाना।

(3) मतदाता सूची निर्धारित प्रारूप (11) पर तैयार करना।

अध्याय–2
भू–धारकों की सूची एवं कुलाबा सब–कमाण्ड का निर्धारण

कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली तैयार करने से पूर्व की जाने वाली कार्यवाही

4. कुलाबा समिति की प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली (अधिनियम लागू होने के क्रम में निर्वाचन हेतु प्रथम बार तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावली) तैयार करने से पूर्व निम्न कार्यवाही की जाएगी–

(1) भू–धारकों की सूची तैयार करना– संगणक द्वारा तहसील कार्यालय अथवा अन्य स्रोत से कुलाबा कमाण्ड के समस्त भू–खण्डों के भू–धारकों का विवरण प्राप्त कर कुलाबावार भू–धारकों की कम्प्यूटरीकृत सूची प्रपत्र–A पर (**परिशिष्ट–6**) तैयार की जाएगी। भू–धारकों की सूची राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या–759/1–18–2012/क0सेल/13/2005 दिनांक 24.08.12 **(परिशिष्ट–7)** के अन्तर्गत जिला सूचना एवं विज्ञान (एन0आई0सी0) कार्यालय से सीधे प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार भू–धारकों की सूची को 12 वर्षों के पश्चात् पुनरीक्षित की जाएगी।

(2) कुलाबा सब–कमाण्ड का निर्धारण करना–सामान्यतः प्रत्येक कुलाबा कमाण्ड में 6 कुलाबा सब–कमाण्ड होगें जिनका निर्धारण निम्न आधार पर किया जाएगा–

(क) प्रत्येक सब–कमाण्ड में भू–धारकों की संख्या लगभग समान होगी;

(ख) प्रत्येक सब–कमाण्ड में उन भू–धारकों को रखा जाएगा, जिसके भू–खण्ड संस्पर्शी (आस–पास) हों;

(ग) यदि किसी भू–धारक की भूमि कुलाबा कमाण्ड में इस प्रकार स्थित है कि उसकी समस्त भूमि किसी एक सब–कमाण्ड में नहीं आ सकती है तो उस भू–धारक की भूमि उतने सब–कमाण्डों में रखी जाएगी, जितने सब–कमाण्डों में उसकी भूमि आएगी। ऐसा होने पर कमाण्ड के भू–धारकों की संख्या की गणना करते समय ऐसे भू–धारक को केवल एक ही बार गिना जाएगा।

(घ) यदि किसी गाटा संख्या पर एक से अधिक भू–धारक हों तो उस गाटा के समस्त भू–धारकों को एक ही सब–कमाण्ड में रखा जाएगा।

(च) उपरोक्त प्रस्तर–4(2) के अनुसार निर्धारित कुलाबा

सब–कमाण्ड के अन्तर्गत आने वाली समस्त भूमि को कुलाबा सब–कमाण्ड का क्षेत्र कहा जाएगा। कुलाबा सब–कमाण्ड में सम्मिलित भूमि के बाहरी खेतों की सीमा से होते हुए कुलाबा सब–कमाण्ड की सीमा रेखा कुलाबा कमाण्ड मानचित्र पर संगणक द्वारा गहरे काले रंग की डॉटेड लाइन से दर्शायी जाएगी।

(छ) यदि किसी कुलाबा कमाण्ड में भू–धारकों की संख्या 6 से कम हो तो उस कुलाबा कमाण्ड में उतने कुलाबा सब कमाण्डों का निर्धारण किया जाएगा, जितने उस कुलाबा कमाण्ड में भू–धारकों की संख्या होगी।

नोट– कुलाबा सब–कमाण्ड के निर्धारण का पुनरीक्षण 12 वर्षों पश्चात् किया जाएगा।

(3) कुलाबा सब–कमाण्डवार भू–धारकों की सूची तैयार करना– पैरा–4(2) के अनुसार कुलाबा सब–कमाण्ड के निर्धारण के पश्चात् प्रत्येक सब कमाण्ड में रखे जाने वाले भू–धारकों की कम्प्यूटरीकृत सूची प्रपत्र–B **(परिशिष्ट–8)** में तैयार की जाएगी। इस प्रकार तैयार सब कमाण्डवार भू–धारकों की सूची को 12 वर्षों पश्चात् पुनरीक्षित किया जाएगी।

भू–धारकों की सूची तथा कुलाबा सब–कमाण्ड की जाँच

5. (1) भू–धारकों की सूची की 100 प्रतिशत जाँच पर्यवेक्षक द्वारा तथा 10 प्रतिशत जाँच सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा प्रमाण–पत्र **(परिशिष्ट–9)** दिया जाएगा।

(2) कुलाबा सब–कमाण्ड निर्धारण की 100 प्रतिशत जाँच पर्यवेक्षक तथा 10 प्रतिशत जाँच सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा प्रमाण–पत्र **(परिशिष्ट–10)** दिया जाएगा।

निर्वाचक नामावली कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार

6. कुलाबा समिति की प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली एवं पूर्व निर्मित निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण उपरांत तैयार निर्वाचक नामावली आगामी सामान्य/उप निर्वाचनों के लिए लागू होगी। निर्वाचक नामावली तैयार करने अथवा विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम को सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा। इसके लिए चुनाव अधिकारी द्वारा घोषित समय–सारिणी में निर्दिष्ट कार्यक्रम को जनसामान्य की जानकारी के लिए निम्नांकित रीति से प्रचार/प्रसार किया जाएगा :–

(i) राजनैतिक दलों की जिला इकाइयों, संसद और विधान मण्डल के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के अध्यक्षों तथा जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्षों को लिखित रूप से कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी;

(ii) प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली बनाने तथा पूर्व निर्मित निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम की निर्धारित समय–सारिणी तथा चरणबद्ध ढंग से की जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी के लिए स्थानीय लोकप्रिय समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाएगा। सार्वजनिक हित की सूचना होने के कारण उक्त विज्ञापन का प्रकाशन यथासंभव समाचार–पत्र के मुख्य पृष्ठ पर कराया जाना चाहिए;

(iii) जनता में व्यापक जानकारी कराने हेतु पैम्फलेट/हैण्डबिल भी छपवाए जा सकते हैं जिन्हें खण्ड स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में वितरित किया जाय तथा कुछ प्रतियां ग्राम पंचायत के सहज दृश्य स्थान पर भी चिपकायी जा सकती हैं;

(iv) प्रचार–प्रसार का समस्त कार्य समयबद्व रूप से मितव्ययता के आधार पर कराया जाना चाहिए।

नोट– भू–धारक का आशय प्रस्तर–7 में निर्धारित योग्यता रखने वाले कृषक से है।

अध्याय–3
कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया

कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण हेतु अर्हताएं

7. कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण (मतदाता बनने) हेतु अर्हताएं निम्नवत् होंगीः–

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने उस वर्ष, जिस वर्ष में प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र में भू–धारक हो, कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण (मतदाता बनने) का हकदार होगा, यदि वह–

(क) कुलाबा से जल प्राप्त करने के लिए पात्र हो;

(ख) मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो;

(ग) किसी भी विधि या किसी प्रावधान के अधीन मतदान के लिए अनर्ह न किया गया हो;

नोटः– भू–धारक का आशय निम्न से है–

- खतौनी अथवा बन्दोबस्ती रजिस्टर के अनुसार भू–स्वामी; अथवा
- असामी (किराएदार)/उप–असामी; अथवा
- गिरवी भूमि पर क़ाबिज़ व्यक्ति ; अथवा
- पट्टेदार (लीज पर भूमि प्राप्त करने वाला); अथवा
- अनुज्ञापी (अधिकार पत्र पाने वाला/लाइसेंसधारी) ; अथवा
- भू–धृतिधारक (खातेदार)
- भू–स्वामी द्वारा नोटराइज्ड स्टॉम्प पेपर पर अथवा किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति जो सिंचाई से लाभान्वित हो रहा हो अथवा हो सकता है।

(2) यदि कोई भू–धारक अवयस्क (जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो) है तो उसका नैसर्गिक संरक्षक मतदाता होगा परन्तु यदि नैसर्गिक संरक्षक पहले से ही मतदाता हो तो उसे केवल एक ही बार पंजीकरण कराने का अधिकार होगा।

(3) यदि उक्त प्रस्तर–7(1) में निर्धारित अर्हता रखने वाला कुलाबा कमाण्ड का कोई भू–धारक एक से अधिक कुलाबा सब–कमाण्ड में

भू–धारक हो तो वह उन सभी सब–कमाण्डों में पंजीकरण का हकदार होगा जिन सब–कमाण्डों में वह भू–धारक है।

कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली में नाम अंकन की विधि

8. निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण एवं निर्देशन में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उनसे सम्बद्ध पर्यवेक्षकों/संगणकों एवं अन्य कर्मियों द्वारा तैयार की जाएगी। कुलाबा समिति की सब कमाण्डवार निर्वाचक नामावली हिन्दी भाषा (देवनागरी लिपि) में निर्धारित प्रारूप मतदाता सूची प्रपत्र–2 **(परिशिष्ट–11)** में तैयार की जाएगी। निर्वाचक नामावली में निर्वाचकों के नाम के अंकन की विधि निम्नवत् रुप से की जाएगीः–

(1) नामावली के उपयुक्त स्तम्भ में निर्वाचक का पूरा नाम दर्ज किया जाएगा। जिन मामलों में निर्वाचक के नाम के हिस्से के रूप में जाति प्रयोग की जाती हो, उन मामलों को छोड़कर, नाम के साथ जाति का प्रयोग नहीं किया जाएगा या जिन मामलों में निर्वाचक को अद्याक्षरों (Initial) से जाना जाता हो, उनमें जो अक्षर प्रयुक्त किए गए हो उन्हें पूर्ण रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक नहीं है।

(2) निर्वाचक नामावली में सम्मान सूचक शब्द जैसे श्री, श्रीमती, कु0, बेगम, पंडित आदि की प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

(3) महिला का पूरा निजी नाम दर्ज किया जाएगा। महिला निर्वाचक का नाम अमुक की पत्नी, अमुक की पुत्री के रूप में दर्ज नही किया जाएगा।

(4) पुरूषों और अविवाहित महिलाओं के मामलें में पिता का नाम और विवाहित महिलाओं और विधवाओं के मामले में पति का नाम दर्ज किया जाएगा। लेकिन यह ध्यान रखा जाएगा कि वह केवल पहचान के प्रयोजन के लिए है और सभी मामलों में इस पर जोर नहीं दिया जाएगा।

(5) निर्वाचक नामावली में खण्ड का नाम, पैतृक नहर का नाम, कुलाबा नम्बर तथा कुलाबा सब कमाण्ड नम्बर के साथ मतदान केन्द्र/मतदान स्थल का नाम, संख्या सहित, अंकित रहेगा। साथ ही उसमें निर्वाचक की पहचान के लिए उसका क्रमांक, नाम, पिता/पति का नाम, पता, भू–खण्ड संख्या एवं उम्र का भी उल्लेख अंकित रहेगा।

(6) मतदाता सूची प्रपत्र–2 में अंकित भू–खण्ड का प्रयोग निर्वाचन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए मान्य नहीं होगा।

अपात्र व्यक्तियों के पंजीयन के सम्बन्ध में रक्षोपाय

9. निर्वाचक नामावली में अपात्र व्यक्तियों के नाम शामिल न हो इसकी जिम्मेदारी सीधे संगणक तथा पर्यवेक्षक की होगी। सहायक निर्वाचक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसे मामले, जिनमें किन्हीं व्यक्तियों ने निर्वाचक नामावली में किसी अपात्र व्यक्ति का पंजीयन कराया है, में परिवार के उन व्यक्तियों के विरूद्ध उपयुक्त विधिक कार्यवाही की जानी जाएगी जिन्होंने गलत सूचना देकर ऐसे पंजीयन कराए हो। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस प्रकार के अवेदन–पत्रों/दावे व आपत्तियों के निस्तारण के समय विशेष सावधानी बरतेंगे।

निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी करना

10. कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली चुनाव अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार कराई जाएगी। निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम चुनाव अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–12** के अनुसार जारी किया जाएगा।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण

11.(1) संगणकों/पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उनके दायित्वों के सम्बन्ध में गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।

(2) चुनाव अधिकारी द्वारा अन्य स्तरों पर भी प्रशिक्षण के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यवस्था की जा सकती है।

(3) खण्ड स्तर पर पर्यवेक्षकों तथा संगणकों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कुलाबा समिति की प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली की तैयारी एवं निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण

12. कुलाबा समिति की प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य तथा प्रत्येक सामान्य निर्वाचन से पूर्व निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण करने का कार्य चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम और समय–सारिणी के अनुसार किया जाएगा। निर्वाचक नामावली मतदान केन्द्र/स्थलवार बनाई जाएगी।

मतदान स्थल/केन्द्र का निर्धारण

13. (1) **मतदान केन्द्रः–** सामान्यतः मतदान हेतु किसी सार्वजनिक भवन अथवा स्कूल आदि में एक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाता है।

(2) **मतदान स्थलः–** मतदान केन्द्र का वह भाग (पूर्ण अथवा आंशिक) जहाँ पर मतदाता मतदान करता है, को मतदान स्थल कहा जाता है। एक मतदान केन्द्र पर एक अथवा एक से अधिक मतदान स्थल हो सकते हैं।

(3) कुलाबा समिति के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र तथा मतदान स्थल का निर्धारण निम्न आधार पर किया जाएगा–

कुलाबा समिति

- एक मतदान केन्द्र पर अधिकतम 1000 सदस्य (मतदाता) मतदान

कर सकें;

- एक मतदान स्थल पर अधिकतम 500 सदस्य (मतदाता) मतदान कर सकें;
- मतदान केन्द्र/स्थल पर मतदान करने हेतु मतदाता को अधिकतम 03 किमी तक की दूरी तय करनी पड़े।

मतदान स्थल/ केन्द्र की सार्वजनिक सूचना

14. प्रस्तर 13(3) के अनुसार निर्धारित मतदान केन्द्र/स्थल पर उप–चुनाव अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र/स्थलों की सूची प्रकाशित की जाएगी **(परिशिष्ट–13)**। प्रकाशन हेतु सार्वजनिक सूचना खण्डीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों, जल उपभोक्ता समितियों के कार्यालय आदि पर चस्पा की जाएगी। प्रकाशन के पश्चात् मतदाताओं से मतदान केन्द्र/स्थल के निर्धारण पर आपत्ति प्राप्त की जाएगी। प्रकाशन की तिथि से अधिकतम 15 दिन के अन्दर प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक सुनवाई करते हुए मतदान केन्द्रो/स्थलों का अन्तिम निर्धारण कर उपचुनाव अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। मतदाता सूची मतदान स्थलवार बनाई जाती है अतः यह अनिवार्य है कि मतदान केन्द्र/स्थल का अन्तिम निर्धारण एवं उपचुनाव अधिकारी का अनुमोदन मतदाता सूची के अनन्तिम प्रकाशन से पूर्व ही प्राप्त कर ली जाए।

संगणकों द्वारा गणना कार्य करना (मतदाता सूची प्रपत्र–1 भरवाना)

15. कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली प्रथम बार तैयार करने तथा अगले प्रत्येक सामान्य निर्वाचन से पूर्व निर्वाचक नामावली (पूर्व निर्मित) का विस्तृत पुनरीक्षण करने हेतु प्रत्येक संगणक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र की कुलाबा समितियों की निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कुलाबा सब–कमाण्ड के भू–धारकों से मतदाता प्रपत्र–1 **(परिशिष्ट–5)** भरवाना होगा। संगणक द्वारा मतदाता प्रपत्र–1 भरवाने में **परिशिष्ट–14** पर दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संगणकों का कार्य आवंटन करते समय **परिशिष्ट–14** के निर्देश प्रत्येक संगणक को उपलब्ध कराए जाएगे।

निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपि (हस्तलिखित) तैयार करना

16. **(1) कुलाबा समिति की प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली की पाण्डुलिपि–**

(क) संगणकों द्वारा घर–घर जाकर प्रत्येक भू–धारक से मतदाता प्रपत्र–1 भरवाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित

समय के अन्दर मतदाता प्रपत्र–1 **(परिशिष्ट–5)** की प्रविष्टियों तथा कुलाबा सब–कमाण्डवार भू–धारकों की सूची के आधार पर संगणक द्वारा प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली की पाण्डुलिपि (हस्तलिखित) **परिशिष्ट–11** में दिए गए प्रारूप में तैयार की जाएगी। कुलाबा सब कमाण्ड के जिस भू–धारक द्वारा मतदाता प्रपत्र नहीं भरा जाएगा, उसका नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं किया जाएगा;

(ख) कुलाबा समिति मतदाता प्रपत्र–1 **(परिशिष्ट–5)** में अंकित किसी भी अर्ह निर्वाचक का नाम भू–धारकों की सूची से छूटा होने पर उसका समाधान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा परन्तु यह समस्त कार्य निर्धारित समय–सीमा में ही पूर्ण कराना अनिवार्य है;

(2) निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण (प्रत्येक सामान्य निर्वाचन से पूर्व) की पाण्डुलिपि–

(क) निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत संगणकों द्वारा घर–घर जाकर प्रत्येक नए भू–धारक से मतदाता प्रपत्र–1 भरवाया जाएगा तथा मतदाता प्रपत्र–1 (**परिशिष्ट–5)** की प्रविष्टियों के आधार पर पूर्व निर्मित निर्वाचक नामावली का संशोधन कर नई निर्वाचक नामावली **परिशिष्ट–11** पर दिए गए प्रारूप पर तैयार की जाएगी। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता प्रपत्र–1 भरवाते समय सम्बन्धित भू–धारक से भू–धारक होने का प्रमाण, यथा– खतौनी की प्रति अथवा किसान बही अथवा अन्य अभिलेख जिससे भू–धारक होना प्रमाणित हो सके, भी प्राप्त किया जाएगा। प्रमाण प्राप्त न होने की दशा में मतदाता प्रपत्र–1 मान्य नही होगा तथा प्रश्नगत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में अंकित नही किया जाएगा।

(ख) पूर्व निर्मित निर्वाचक नामावली तथा इसके साथ संलग्न पूरक नामावली को नई निर्वाचक नामावली में समाहित कर लिया जाएगा।

(3) हस्तलिखित प्रति स्वच्छ एवं सुलेख में तैयार की जानी चाहिए;

(4) हस्तलिखित प्रति तैयार करने का कार्य संगणकों और पर्यवेक्षकों से कराया जाएगा;

(5) हस्तलिखित प्रति पर संगणक, पर्यवेक्षक और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होंगे;

(6) मतदाता प्रपत्र–1 एवं भू–धारकों की सूची अथवा भू–धारक के प्रमाण में भिन्नता होने अथवा मतदाता प्रपत्र–1 एवं भू–धारक की सूची अथवा भू–धारक के प्रमाण में से किसी एक अभिलेख के न होने पर (लिपिकीय त्रुटियां को छोड़कर) प्रश्नगत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची मे अंकित नही किया जाएगा।

(7) किसी व्यक्ति द्वारा भू–धारक होने के दिए गए प्रमाण–पत्र एवं भू–धारकों की सूची में भिन्नता की स्थिति में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संक्षिप्त जाँच कर निर्णय लिया जाएगा।

निर्वाचक नामावली की जाँच एवं प्रमाण–पत्र

17.(1) संगणकों/पर्यवेक्षकों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्य का आकस्मिक निरीक्षण निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) निर्वाचक नामावली का सम्बन्धित पर्यवेक्षक द्वारा 10 प्रतिशत तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की 5 प्रतिशत जांच करना अनिवार्य है।

(3) सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं पर्यवेक्षक द्वारा निर्वाचक नामावली की जाँच का प्रमाण–पत्र **परिशिष्ट–15** में दिए गए प्रारूप पर दिया जाएगा।

(4) संगणकों द्वारा अपने क्षेत्र के कार्य की समाप्ति पर उनके द्वारा **परिशिष्ट–16** पर प्रमाण–पत्र दिया जाएगा।

निर्वाचक नामावली का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

18. (1) उपचुनाव अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करने एवं प्रकाशित करने से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा समय–समय पर प्रगति की सूचना चुनाव अधिकारी एवं मुख्य चुनाव अधिकारी को दिया जाएगा;

(2) उपचुनाव अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–12** में उल्लिखित निर्वाचक नामावली तैयार करने की कार्यक्रम सारिणी के प्रत्येक बिन्दु पर अपनी आख्या चुनाव अधिकारी को दी जाएगी;

(3) अनन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली की प्रति, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, अनन्तिम प्रकाशन की तिथि से पूर्व उपचुनाव अधिकारी को दी जाएगी। उपचुनाव अधिकारी द्वारा उक्त प्रति प्राप्त होने की सूचना चुनाव अधिकारी को दी जाएगी;

(4) चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में उपचुनाव अधिकारी निर्वाचक नामावली के अनन्तिम प्रकाशन हेतु तैयार हो जाने का प्रमाण–पत्र **परिशिष्ट–17** पर चुनाव अधिकारी को दिया जाएगा।

निर्वाचक नामावली का मुद्रण

19. (1) चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर निर्वाचक नामावली की छपाई का कार्य स्थानीय प्रेसों से 25–25 प्रतियों में कराया जाएगा। यदि

स्थानीय स्तर पर प्रेस उपलब्ध न हो तो जिले स्तर पर या निकटवर्ती अन्य प्रेसों से छपाई का कार्य निर्दिष्ट अवधि के भीतर कराया जाना अनिवार्य है;

(2) निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराने में यह सावधानी रखी जाएगी कि पृष्ठों में सब कमाण्ड संख्या देते हुए एक ही तारतम्य में एक मतदान स्थल की निर्वाचक नामावली मुद्रित करायी जाएगी;

(3) प्रत्येक उपकमाण्ड की निर्वाचक नामावली में निर्वाचकों के नामों के अंकन का प्रारम्भ क्रमांक एक से होगा;

(4) निर्वाचक नामावली की प्रतियां मुद्रित कराने के उपरांत चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रकाशन, प्रचार, दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने तथा प्राप्त दावों और आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात निस्तारण की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।

निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण

20. (1) निर्वाचक नामावली की गहन या विस्तृत पुनरीक्षण के अलावा प्रत्येक वर्ष सरसरी तौर पर जैसा चुनाव अधिकारी निर्देश दे, नामावली का संक्षिपत पुनरीक्षण किया जाएगा;

(2) सरसरी तौर पर पुनरीक्षण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ऐसी सूचना के आधार पर जो सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भागों के संशोधनों की सूची तैयार कराएगा और संशोधन की सूची के साथ नामावली के आलेख को प्रकाशित करेगा;

(3) संक्षिप्त पुनरीक्षण में घर–घर जाकर गणना नहीं की जाएगी, बल्कि तत्समय प्रवृत्त नामावली को प्रकाशित कर दावे और आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त दावों और आपत्तियों को निपटाने के बाद नामावली को अन्तिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा;

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नामावली की एक प्रति तैयार की जाएगी और निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली की प्रति अपने कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

अध्याय–4
कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली पर दावे/आपत्तियाँ प्राप्त करना तथा अंतिम प्रकाशन कराना

निर्वाचक नामावली का अनन्तिम प्रकाशन

21. (1) चुनाव अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि में निर्वाचक नामावलियों की प्रतियाँ (प्रथम बार तैयार निर्वाचक नामावली/विस्तृत पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावली) मुद्रित कराने के पश्चात निर्धारित प्रारुप (**परिशिष्ट–18)** पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से निर्वाचक नामावली का अनंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

(2) निर्वाचक नामावली की एक–एक प्रति निम्नांकित स्थानों में प्रकाशित करायी जाएगीः–

(क) तहसील कार्यालय, खण्डीय कार्यालय;

(ख) ग्राम पंचायत कार्यालय, विद्यालय भवन, जल उपभोक्ता समिति सहकारी समिति का भवन या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटित उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा अन्य कोई सार्वजनिक भवन जिसे इस निमित्त उप निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित किया गया है।

(3) निर्वाचक नामावली प्रकाशन के दिनांक से चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि तक के लिए जन–सामान्य के निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जाएगी।

(4) निरीक्षण कराने का कार्य सींचपाल अथवा ग्राम प्रधान तथा इस निमित्त अन्य जैसा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उचित समझे, को सौंपा जा सकता है।

(5) निर्वाचक नामावली के प्रकाशन व निःशुल्क निरीक्षण के सम्बन्ध में जन–सामान्य की जानकारी के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत में किसी सुविधाजनक रीति से इस तथ्य को प्रसारित किया जाएगा कि सम्बन्धित कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली प्रकाशित हो गयी है और प्रकाशन के दिनांक से चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि तक के लिए निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

(6) अनन्तिम प्रकाशन की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में भी दी जाएगी।

दावे/आपत्तियां प्राप्त करना

22. (1) चुनाव अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली की **परिशिष्ट–18** में नोटिस प्रकाशित करने के तत्काल बाद ही

दावे/आपत्तियां दाखिल करने का कार्य आरम्भ हो जाएगा जो प्रकाशन से 21 दिन तक चलता रहेगा;

(2) जन–साधारण की सुविधा के लिए जिस कर्मचारी को निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कराने का कार्य सौपा जाए उसे निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्राप्त होने वाले दावे तथा आपत्तियों को प्राप्त करने का दायित्व भी सौंपा जा सकता है;

(3) दावे तथा आपत्तियों को दाखिल करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रपत्रों का प्रयोग किया जाएगा:–

(i) निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने का दावा **परिशिष्ट–19** के प्रारुप में किया जाएगा;

(ii) निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में आपत्ति **परिशिष्ट–20** के प्रारुप पर की जाएगी;

(iii) निर्वाचक नामावली से विभिन्न कारणों के आधार पर नाम हटाए जाने सम्बन्धी आपत्ति **परिशिष्ट–21** के प्रपत्र में की जाएगी।

(4) पैरा 22(3) के अंतर्गत प्राप्त दावों तथा आपत्तियों को प्राप्त करते समय निम्नलिखित व्यवस्था/कार्यवाही की जाएगी :–

(i) दावे और आपत्तियों की प्राप्ति स्वरूप दावाकर्ता अथवा आपत्तिकर्ता को एक रसीद प्रारूप (**परिशिष्ट–22**) में जारी की जाएगी। उक्त रसीद की पुस्तिका 50–50 की दोहरी प्रतियों में मुद्रित करायी जाएगी तथा दावे/आपत्ति प्राप्त करने के लिए अधिकृत कार्यकर्ता को एक–एक रसीद पुस्तिका उपलब्ध करायी जाएगी;

(ii) निर्वाचक नामावली से यदि किसी व्यक्ति के नाम निकालने सम्बन्धी आपत्ति **परिशिष्ट–21** में की गई हो तो वह दो प्रतियों में प्राप्त की जाएगी। **परिशिष्ट–21** की एक प्रति नोटिस के साथ (**परिशिष्ट–23**) सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति की गई है, डाक द्वारा भेजी जाएगी और दूसरी प्रति (**परिशिष्ट–23**) सम्बन्धित कर्मचारी के पास रहेगी;

(iii) दावे/आपत्तियों से सम्बधित प्रपत्रों और रसीद के प्रारूप अपेक्षित संख्या में मुद्रित कराकर समय से उपलब्ध कराया

जाएगा;

(iv) दावे/आपत्ति प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर्मचारी द्वारा निर्धारित अवधि में प्राप्त दावे/आपत्तियों का विवरण **परिशिष्ट–24** में तैयार किया जाएगा;

(v) निर्वाचक नामावली को तैयार करने हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि **परिशिष्ट–24** का विवरण दावे/आपत्तियों के मूल अभिलेखों सहित प्रति दूसरे दिन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराता रहे;

(vi) दावे/आपत्तियाँ सीधे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकेगी। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उसको सीधे तथा सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्राप्त दावे/आपत्तियों का विवरण **परिशिष्ट–24** में तैयार करें तथा इस प्रकार तैयार की गयी सूची वह अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रतिदिन निर्दिष्ट अवधि तक प्रदर्शित करे।

प्राप्त दावे और आपत्तियों की सुनवाई तथा उनका निस्तारण एवं पूरक मतदाता सूची

23. (1) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त दावे और आपत्यिों पर सुनवाई उनके प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के अगले दिन से प्रारम्भ कर 7 दिनों तक की जाएगी। दावे/ आपत्तियाँ मुख्यतया निम्नांकित बिन्दुओं पर की जाएगी :–

(i) निर्वाचक नामावली में दावेदार का नाम सम्मिलित न होना या गलत स्थान पर या अशुद्ध प्रविष्टियों के साथ सम्मिलित होना;

(ii) निर्वाचक नामावली में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति होना जिसका नाम किसी प्रकार की अनर्हता के कारण या मृत्यु के कारण सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं है;

(iii) किसी व्यक्ति का नाम किसी अनर्हता के कारण कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो किन्तु वह दावा करे कि उसकी अनर्हता अब दूर हो गयी है और वह अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए अपना आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया हो;

(iv) विहित अवधि के भीतर विहित प्रपत्र में विहित रीति से यदि

कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा;

(v) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिन मामलों में दावे/आपत्तियों की ग्राह्यता से प्रथम दृष्टया संतुष्ट न हो तो ऐसे दावेदार/आपत्तिकर्ता को **परिशिष्ट–23** में नोटिस तामील की जाएगी। यदि दावेदार/आपत्तिकर्ता प्राप्त न करे तो उसकी एक प्रति दावेदार/आपत्तिकर्ता के निवास स्थान पर चस्पा करायी जाएगी। नोटिस में दावे/आपत्ति की सुनवाई का समय और स्थान विनिर्दिष्ट होगा और दावेदार या आपत्तिकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने और उपस्थित होने का निर्देश दिया जाएगा;

(vi) दो साक्षी के समक्ष ऐसी चस्पा की गई नोटिस तामील करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र तामीली के लिए निश्चयात्मक प्रमाण माना जाएगा।

(2) दावे तथा आपत्तियों के साथ दावेदार/आपत्तिकर्ता द्वारा सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। सुनवाई के समय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावेदार/आपत्तिकर्ता का बयान अभिलिखित करने अथवा ऐसी अन्य संक्षिप्त जाँच के पश्चात अपना विनिश्चय दिया जाएगा और अपने विनिश्चय से सम्बन्धित आदेश की एक प्रति दावेदार/आपत्तिकर्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी;

(3) यदि आपत्तिकर्ता की शिकायत सही पायी जाय और किसी निर्वाचक का नाम सम्बन्धित निर्वाचक नामावली से हटाने का विनिश्चय अभिलिखित किया जाय तो तत्सम्बन्धी सूचना, ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम हटाने का विनिश्चय किया गया हो, को **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ट–25** पर अवश्य भेजी जाएगी;

(4) दावे/आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात ऐसे मामलों को निम्नांकित शीर्षकों में वर्गीकृत करके सूचियाँ तैयार की जाएंगी :–

(i) परिवर्धन–सूची (सम्मिलित नामों की सूची)

(ii) संशोधन–सूची (सशोधित नामों की सूची)

(iii) विलोपन/अपमार्जन–सूची (निकाले गए नामों की सूची)

(5) पैरा 23(4) में उल्लिखित सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मोहर लगाकर हस्ताक्षर किया जाएगा और काट–छांट की जगह पर लघु हस्ताक्षर होंगे। यह सूची निर्वाचक

नामावली की पूरक सूची होगी और यह सूची निर्धारित समय में मुद्रित कराकर मूल सूची के साथ संलग्न की जाएगी।

कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन

24. (1) निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के लिए निर्धारित अवधि के अन्दर निर्वाचक नामावली की मूल प्रति के साथ पूरक सूची की मुद्रित प्रति सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–26** में सूचना प्रदर्शित करके अन्तिम रूप से प्रकाशित की जाएगी;

(2) प्रकाशन का प्रदर्शन खण्डीय कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय तथा ग्राम पंचायत के निर्दिष्ट कार्यालय के सूचना पट्ट पर की जाएगी;

(3) नामावली प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी मानी जाएगी तथा उसके प्रभावी होने की अवधि तब तक रहेगी जब तक नयी निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित न हो जाय;

(4) निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के पूर्व यदि असावधानी के कारण किसी निर्वाचक का नाम अंकित होने से रह गया हो तो ऐसे नाम को नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है।

दावे और आपत्तियों पर विनिश्चय के विरूद्ध अपील

25. (1) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति उप चुनाव अधिकारी को अपील कर सकता है;

(2) व्यथित व्यक्ति द्वारा **परिशिष्ट–27** में दिए गए प्रारूप में, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय की प्रति के साथ, निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जा सकती है;

(3) अपील करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–27** की एक प्रति तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी;

(4) अपील प्रस्तुत होते ही उप चुनाव अधिकारी द्वारा तत्काल उसकी सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाएगी। अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा कि उक्त अधिकारी ठीक समझे, वह अपील में समुचित आदेश पारित करेगा।

(5) यदि अपील मान्य की गई हो तो वह **परिशिष्ट–28** में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आदेश देगा कि वह निर्वाचक नामावली में उसके विनिश्चय के अनुसार आवश्यक संशोधन करे;

(6) उप चुनाव अधिकारी के निर्देशों के अनुसार संशोधन निर्वाचन की

अधिसूचना जारी होने के पूर्व प्राप्त होने पर ही किया जाएगा;

(7) निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से लेकर निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि में उक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी;

(8) उप चुनाव अधिकारी के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में जो भी संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन या विलोपन किया जाए उसकी प्रविष्टि नामावली के अंत में उपकमाण्ड क्रमांक दर्शाते हुए की जाएगी;

(9) उप चुनाव अधिकारी द्वारा अपील की सुनवाई के पश्चात कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली की संशोधित प्रति खण्डीय कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय तथा ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।

निर्वाचक नामावली की आवश्यक संख्या में प्रतियाँ तैयार करना

26. (1) निर्वाचन नामावली मतदान स्थलवार बनाई जाएगी जिससे प्रत्येक मतदान स्थल में बैठे पीठासीन अधिकारी को उस मतदान स्थल की निर्वाचक नामावली आसानी से उपलब्ध कराई जा सके;

(2) मतदान केन्द्र/स्थलवार मतदाता सूची की 25–25 प्रतियाँ तैयार कराई जाएगी।

नोटः– निर्वाचक नामावली का आशय प्रथम बार तैयार निर्वाचक नामावली तथा प्रत्येक विस्तृत पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावली दोनो से है।

अध्याय–5
कुलाबा समिति निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के बाद संशोधन

कुलाबा समिति की निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद संशोधन

27. (1) निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद तथा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पूर्व तक यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक के रूप में नामावली में अपना पंजीकरण कराना चाहता है अथवा अनर्ह व्यक्ति का नाम हटाना चाहता है अथवा किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराना चाहता है तो उसे क्रमशः **परिशिष्ट–19, परिशिष्ट–20, परिशिष्ट–21** में दावा/आवेदन–पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा;

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे दावे/आवेदन पर सुनवाई करके सम्यक् जांचोपरान्त अपनी संस्तुति उप चुनाव अधिकारी के माध्यम से चुनाव अधिकारी को प्रस्तुत करेगा;

(3) चुनाव अधिकारी के आदेश के पश्चात ऐसे व्यक्ति का निर्वाचक के रूप में पंजीकरण किया जा सकेगा;

(4) पैरा 27(1) में विहित अवधि में यदि किसी कुलाबा समिति के किसी उप कमाण्ड से अधिकांश नाम के छूटने की शिकायत प्राप्त होती है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सम्यक् जांचोपरान्त ऐसे व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु अपनी संस्तुति उप चुनाव अधिकारी के माध्यम से चुनाव अधिकारी को प्रेषित करेगा। चुनाव अधिकारी के आदेश से ऐसे नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जा सकेंगे;

(5) पैरा 27(1) में विहित अवधि में नाम सम्मिलित करने, प्रविष्टि शुद्ध करने तथा नाम हटाए जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत किए गए आवेदन–पत्र रूपए 1.00 प्रति व्यक्ति प्रति आवेदन–पत्र की दर से शुल्क भुगतान करने के पश्चात ही मान्य किए जाएंगे। परन्तु यह शुल्क उन आवेदन पत्रों पर देय नहीं होगा जो निर्वाचक नामावली के किसी भी पुनरीक्षण के समय दावा/आपत्ति अथवा प्रविष्टि शुद्ध करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण– चुनाव अधिकारी के आदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपरोक्त अवधि में किसी भी समय किसी लिपिकीय एवं मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि को शुद्ध करने या निर्वाचक नामावली में दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तद्नुसार प्रतिष्टियों को सुधारा या निकाला जाएगा।

कुलाबा समिति की नामावली की अभिरक्षा

28.(1) निर्वाचक नामावली तथा प्राप्त आवेदन पत्रों और अभिलिखित विनिश्चयों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसे स्थान में सुरक्षित रखा जाएगा, जैसाकि चुनाव अधिकारी निर्धारित करे;

(2) किसी कुलाबा समिति की नामावली तब तक सुरक्षित रखी जाएगी जब तक कि अगले पुनरीक्षण के पश्चात नई नामावली छप कर तैयार न हो जाए;

(3) कुलाबा समिति के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित नामावली की एक सम्पूर्ण प्रति खण्डीय चुनाव अधिकारी के कार्यालय में भी रखी जाएगी;

(4) प्रत्येक व्यक्ति को **एक रूपया प्रति पृष्ठ** की फीस का भुगतान करने पर उपरोक्तानुसार तैयार की गई निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।

अध्याय–6
अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति की निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया

अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति, रजबहा समिति तथा शाखा समिति की निर्वाचक नामावली

29.(1) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति, रजबहा समिति तथा शाखा समिति के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन से पूर्व निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी।

(2) कुलाबा समिति के निर्वाचन के पश्चात् अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी।

(3) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के निर्वाचन के पश्चात् रजबहा समिति की निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी।

(4) रजबहा समिति के निर्वाचन के पश्चात् शाखा समिति की निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी।

(5) चुनाव अधिकारी द्वारा अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति, रजबहा समिति तथा शाखा समिति की निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम **परिशिष्ट–29** के अनुसार जारी किया जाएगा।

(6) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह चुनाव अधिकारी द्वारा जारी कार्यक्रम एवं समय–सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार करवाएं।

अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति, रजबहा समिति तथा शाखा समिति निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कार्मिक

30. अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति, रजबहा समिति तथा शाखा समिति की निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मियों की नियुक्ति एवं कार्यक्षेत्र का विभाजन निम्नानुसार किया जाएगा–

(1) चुनाव अधिकारी द्वारा सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति का प्रारुप **परिशिष्ट–30** के अनुसार होगा। किसी समिति का कार्यक्षेत्र एक से अधिक खण्डों में आने की दशा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति चुनाव अधिकारी द्वारा अपने विवेक के आधार पर की जाएगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति, रजबहा समिति तथा शाखा समिति की निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सहायक अभियन्ताओं को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्त किया जाएगा। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार कराने हेतु खण्डीय कर्मियों (अवर अभियन्ता, जिलेदार, कनिष्ठ सहायक आदि) को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से सम्बद्ध किया जाएगा। सभी सम्बद्ध कर्मी निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु उत्तरदायी होंगे। नियुक्ति का प्रारुप

परिशिष्ट–31 के अनुसार होगा।

निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रीच का निर्धारण

31. अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति की निर्वाचक नामावली रीचवार तैयार की जाएगी। रीच का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा–

(1) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका की रीच का निर्धारण–

प्रत्येक अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका को उससे सम्बद्व कुलाबों की संख्या के आधार पर तीन भागों में बांटा जाएगा जिसे शीर्ष, मध्य एवं टेल रीच कहा जाएगा। प्रत्येक रीच में आने वाले कुलाबों की संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगाः–

(i) यदि अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका से सम्बद्ध कुलाबों की संख्या तीन से विभाजित हो जाती है तो प्रत्येक रीच (हेड, मिडल एवं टेल) में एक तिहाई कुलाबे आएंगे।

(ii) यदि अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका से सम्बद्ध कुलाबों की संख्या में तीन से भाग देने पर शेष एक बचता है तो तीनों भागों में निम्न संख्या में कुलाबे आएंगेः–

शीर्ष	[(कुलाबों की संख्या–1)/3]+1
मध्य	(कुलाबों की संख्या–1)/3
टेल	(कुलाबों की संख्या–1)/3

(iii) यदि अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका से सम्बद्ध कुलाबों की संख्या में तीन से भाग देने पर शेष 2 बचता है तो तीनों भागों में निम्न संख्या में कुलाबे आएंगे–

शीर्ष	[(कुलाबों की संख्या–2)/3]+1
मध्य	[(कुलाबों की संख्या–2)/3]+1
टेल	(कुलाबों की संख्या–2)/3

(2) रजबहा रीच का निर्धारण–

प्रत्येक रजबहा को उससे सम्बद्व अल्पिकाओं की संख्या के आधार पर तीन भागों में बांटा जाएगा जिसे शीर्ष, मध्य एवं टेल रीच कहा जाएगा। प्रत्येक रीच में आने वाली अल्पिकाओं की संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगाः–

(i) यदि रजबहा /फेडरेटेड रजबहा से सम्बद्ध अल्पिकाओं की संख्या तीन से विभाजित हो जाती है तो प्रत्येक रीच (हेड, मिडल एवं

टेल) में एक तिहाई अल्पिकाएं आएंगी।

(ii) यदि रजबहा /फेडरेटेड रजबहा से सम्बद्ध अल्पिकाओं की संख्या में तीन से भाग देने पर शेष एक बचता है तो तीनों भागों में निम्न संख्या में अल्पिकाएं आएंगीः–

शीर्ष [(अल्पिकाओं की संख्या–1)/3]+1

मध्य (अल्पिकाओं की संख्या–1)/3

टेल (अल्पिकाओं की संख्या–1)/3

(iii) यदि रजबहा /फेडरेटेड रजबहा से सम्बद्ध अल्पिकाओं की संख्या में तीन से भाग देने पर शेष 2 बचता है तो तीनों भागों में निम्न संख्या में अल्पिकाएं आएंगी–

शीर्ष [(अल्पिकाओं की संख्या–2)/3]+1

मध्य [(अल्पिकाओं की संख्या–2)/3]+1

टेल (अल्पिकाओं की संख्या–2)/3

(3) शाखा रीच का निर्धारण–

प्रत्येक शाखा को उससे सम्बद्व रजबहों की संख्या के आधार पर तीन भागों में बांटा जाएगा जिसे शीर्ष, मध्य एवं टेल रीच कहा जाएगा। प्रत्येक रीच में आने वाले रजबहों की संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगाः–

(i) यदि शाखा से सम्बद्ध रजबहों की संख्या तीन से विभाजित हो जाती है तो प्रत्येक रीच (हेड, मिडल एवं टेल) में एक तिहाई रजबहे आएंगे।

(ii) यदि शाखा से सम्बद्ध रजबहों की संख्या में तीन से भाग देने पर शेष एक बचता है तो तीनों भागों में निम्न संख्या में रजबहे आएंगेः–

शीर्ष [(रजबहों की संख्या–1)/3]+1

मध्य [(रजबहों की संख्या–1)/3]+1

टेल (रजबहों की संख्या–1)/3

(iii) यदि शाखा से सम्बद्ध रजबहों की संख्या में तीन से भाग देने पर शेष 2 बचता है तो तीनों भागों में निम्न संख्या में रजबहे आएंगे–

शीर्ष [(कुलाबों की संख्या–2)/3]+1

मध्य [(कुलाबों की संख्या–2)/3]+1

निर्वाचक नामावली में पंजीकरण हेतु अर्हताएं

32.(1) अल्पिका से सम्बद्ध कुलाबों पर गठित समस्त कुलाबा समितियों की प्रबंधन समिति के समस्त सदस्य (निर्वाचित एवं सहयोजित) अल्पिका समिति की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण हेतु अर्ह होंगे;

(2) फेडरेटेड अल्पिका समिति से सम्बद्ध कुलाबा समितियों की प्रबंधन समिति के समस्त सदस्य (निर्वाचित एवं सहयोजित) फेडरेटेड अल्पिका समिति की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण हेतु अर्ह होंगे;

(3) रजबहा से सम्बद्ध अल्पिका समिति एवं फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबंधन समिति के समस्त सदस्य (निर्वाचित एवं सहयोजित) रजबहा समिति की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण हेतु अर्ह होंगे;

(4) शाखा से सम्बद्ध रजबहा समितियों, फेडरेटेड रजबहा समितियों, शाखा से निकले कुलाबों पर बनी फेडरेटेड अल्पिका समितियों की प्रबंधन समिति के समस्त सदस्य (निर्वाचित एवं सहयोजित) शाखा समिति की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण हेतु अर्ह होंगे;

(5) कोई भी सदस्य मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो;

(6) किसी भी विधि या प्राविधान के अधीन मतदान के लिए अनर्ह न किया गया हो।

निर्वाचक नामावली में नाम अंकन की विधि

33.(1) किसी अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति की रीचवार निर्वाचक नामावली हिन्दी भाषा की देवनागरी लिपि में निर्धारित प्रारूप (मतदाता सूची प्रपत्र **परिशिष्ट–32, 33, एवं 34**)में तैयार की जाएगी;

(2) नामावली के उपयुक्त स्तम्भ में निर्वाचक का पूरा नाम दर्ज किया जाएगा। जिन मामलों में निर्वाचक के नाम के हिस्से के रूप में जाति प्रयोग की जाती हो, उन मामलों को छोड़कर नाम के साथ जाति का प्रयोग नहीं किया जाएगा या जिन मामलों में निर्वाचक **को अक्षरों से** जाना जाता हो उनमें जो अक्षर प्रयुक्त किए गए हो उन्हें पूर्ण रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक नहीं है;

(3) निर्वाचक नामावली में सम्मान सूचक शब्द जैसे श्री, श्रीमती, कु0, बेगम, पंडित आदि की प्रविष्टि नहीं की जाएगी;

(4) महिला का पूरा निजी नाम दर्ज किया जाएगा। महिला निर्वाचक का नाम अमुक की पत्नी, अमुक की पुत्री के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा;

(5) पुरूषों और अविवाहित महिलाओं के मामलें में पिता का नाम और

विवाहित महिलाओं और विधवाओं के मामले में पति का नाम दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि वह केवल पहचान के प्रयोजन के लिए है और सभी मामलों में इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है;

अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति की निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम

34. प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पूर्व अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति की निर्वाचक नामावली की तैयारी चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम और समय–सारिणी के अनुसार किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में खण्ड का नाम, पैतृक नहर का नाम, नहर का नाम, नहर की रीच के नाम के साथ मतदान केन्द्र/मतदान स्थल का नाम व संख्या अंकित रहेगा। साथ ही उसमें निर्वाचक की पहचान के लिए उसका क्रमांक, नाम, पिता/पति का नाम आदि का भी उल्लेख अंकित रहेगा।

मतदान केन्द्र/स्थल का निर्धारण

35. (1) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के मतदान हेतु मतदान केन्द्र/स्थल निम्न आधार पर निर्धारित किया जाएगा–

- एक मतदान केन्द्र पर अधिकतम 1000 मतदाता तथा एक मतदान स्थल पर अधिकतम 500 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर सके;
- मतदाता को 5 किमी0 से अधिक दूरी न तय करनी पड़े;

(2) रजबहा तथा शाखा समिति के मतदान हेतु मतदान केन्द्र/स्थल का निम्न आधार पर निर्धारित किया जाएगा–

- एक मतदान केन्द्र पर अधिकतम 1000 मतदाता तथा एक मतदान स्थल पर अधिकतम 500 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर सके;
- मतदाता को 10 किमी0 से अधिक दूरी तय न करनी पड़े

मतदान स्थल/ केन्द्र की सार्वजनिक सूचना

36. प्रस्तर–35 के अनुसार निर्धारित मतदान केन्द्र/स्थल पर उप–चुनाव अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र/स्थलों की सूची प्रकाशित की जाएगी **(परिशिष्ट–13)**। प्रकाशन हेतु सार्वजनिक सूचना खण्डीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों, जल उपभोक्ता समितियों के कार्यालय आदि पर चस्पा की जाएगी। प्रकाशन के पश्चात् मतदाताओं से मतदान केन्द्र/स्थल के निर्धारण पर आपत्ति प्राप्त की जाएगी। प्रकाशन की तिथि से अधिकतम 7 दिन के अन्दर प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक सुनवाई करते हुए मतदान केन्द्रो/स्थलों का अन्तिम निर्धारण कर उपचुनाव अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। मतदाता सूची मतदान स्थलवार बनाई जाती है अतः यह अनिवार्य है कि मतदान केन्द्र/स्थल का अन्तिम निर्धारण एवं उपचुनाव अधिकारी का अनुमोदन चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त कर लिया जाए।

प्रशिक्षण

37. निर्वाचक नामावली किसी भी निर्वाचन की आधारशिला होती है। अतः सही, शुद्ध तथा त्रुटिहीन निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए आवश्यक है कि इस कार्य के लिए नियोजित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा उनसे सम्बद्ध कर्मचारियों को उनके दायित्वों के सम्बन्ध में गहन प्रशिक्षण दिया जाय। उक्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था किया जाना समीचीन होगा। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों व उससे सम्बद्ध कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी।

निर्वाचक नामावली तैयार करना

38. (1) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका/रजबहा/शाखा समिति की निर्वाचक नामावली सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देशानुसार रीचवार निर्धारित प्रपत्र **(परिशिष्ट–32, 33 एवं 34)** पर तैयार की जाएगी;

(2) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका की प्रत्येक रीच में आने वाले कुलाबों की प्रबंधन समिति के सदस्यों को अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किया जाएगा।

(3) रजबहा के प्रत्येक रीच में आने वाली अल्पिकाओं एवं फेडरेटेड अल्पिकाओं की प्रबंधन समिति के सदस्यों को रजबहा समिति की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किया जाएगा।

(4) शाखा के प्रत्येक रीच में आने वाले रजबहों की प्रबंधन समिति के सदस्यों को शाखा समिति की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किया जाएगा।

(5) निर्वाचक नामावली की दो प्रतियाँ तैयार की जाएगी। जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उससे सम्बद्ध समस्त कर्मियों के हस्ताक्षर होगें।

(6) निर्वाचक नामावली मतदान स्थलवार बनायी जाएगी, जिससे प्रत्येक मतदान स्थल में बैठे पीठासीन अधिकारी को उस मतदान स्थल की निर्वाचक नामावली आसानी से उपलब्ध कराई जा सके;

निर्वाचक नामावली की जाँच एवं अनुश्रवण

39. प्रस्तर–38 के अनुसार तैयार निर्वाचक नामावली की जाँच निम्नानुसार की जाएगी:–

(1) निर्वाचक नामावली की 100 प्रतिशत जाँच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी;

(2) निर्वाचक नामावली की 10 प्रतिशत जाँच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी, तदोपरान्त निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन **(परिशिष्ट–33)** खण्डीय कार्यालय पर किया जाएगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की जाँच का प्रमाण–पत्र **परिशिष्ट–17क** के प्रारूप पर दिया जाएगा।

(4) निर्वाचक नामावली तैयार करने का अनुश्रवण उप चुनाव अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा निर्वाचक नामावली तैयार हो जाने एवं उसकी एक प्रति प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र **परिशिष्ट–15क** के प्रारूप पर चुनाव अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

निर्वाचक नामावली का मुद्रण

40. (1) चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर प्रारूप नामावली की छपाई का कार्य स्थानीय प्रेसों से कराया जाएगा;

(2) निर्वाचक नामावली के पृष्ठों में रीच का नाम देते हुए एक ही तारतम्यता में एक मतदान स्थल की निर्वाचक नामावली मुद्रित करायी जाएगी;

(3) प्रत्येक रीच की निर्वाचक नामावली में निर्वाचकों के नामों के अंकन का प्रारम्भ क्रमांक एक से होगा;

निर्वाचक नामावली का प्रदर्शन एवं वितरण

41(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रकाशित निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ जिलाधिकारी, तहसील कार्यालय, ब्लाक कार्यालय तथा

जनप्रतिनिधियों आदि को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जल उपभोक्ता समिति द्वारा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचक नामावली के सम्बन्धित भाग की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

निर्वाचक नामावली की अभिरक्षा और परिरक्षण

42(1) निर्वाचक नामावली एवं उससे सम्बन्धित अन्य अभिलेखों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसे स्थान पर सुरक्षित रखा जाएगा, जैसाकि चुनाव अधिकारी निर्धारित करे। किसी समिति की नामावली तब तक सुरक्षित रखी जाएगी जब तक कि नई नामावली छप कर तैयार न हो जाए। समिति के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित नामावली की एक सम्पूर्ण खण्डीय चुनाव अधिकारी के कार्यालय में भी रखी जाएगी;

(2) प्रत्येक व्यक्ति को एक रूपया प्रति पृष्ठ की फीस का भुगतान करने पर उपरोक्तानुसार तैयार की गई निर्वाचक नामावली की प्रतियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।

अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली की आवश्यक संख्या में प्रतियां

43(1) निर्वाचक नामावली की 15–15 प्रतियाँ तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

नोटः– अल्पिका समिति के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी प्रविधान फेडरेटेड अल्पिका के निर्वाचन में भी लागू होगें।